

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022 **533** न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक- **19/01/26**

जिला पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा/नगर निकाय में कार्यपालक पदाधिकारी के रिक्त पद पर कार्यहित में निम्न विवरणी के कॉलम-2 में अंकित पदाधिकारियों को कॉलम-3 में अंकित अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 41 के अन्तर्गत कॉलम-4 में अंकित नगर निकाय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार वाले नगर निकाय
1	2	3	4
1	श्री रवि कुमार	वरीय उप समाहर्ता, लखीसराय	नगर परिषद, बड़हिया
2	श्री विनीत कुमार	नगर पंचायत, केसरिया	नगर पंचायत, मेहसी
3	श्री दिनेश पुरी	नगर पंचायत, लौरिया	नगर परिषद, नरकटियागंज
4	सुश्री सौम्या सिंह	परियोजना पदाधिकारी-सह-उप निदेशक	नगर परिषद, फुलवारीशरीफ (नगर व्यवस्था)

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

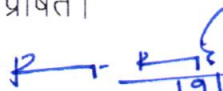
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022 **533** /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक- **19/01/26**

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री रवि कुमार, वरीय उप समाहर्ता लखीसराय/श्री विनीत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, केसरिया/श्री दिनेश पुरी, नगर पंचायत, लौरिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बड़हिया/नरकटियागंज/फुलवारीशरीफ (नगर व्यवस्था)/नगर पंचायत, मेहसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सुश्री सौम्या सिंह, परियोजना पदाधिकारी-सह-उप निदेशक/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/01/2026
सरकार के उप सचिव।